ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा,हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत करियां में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव, कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री दीपक राना	01-04-2022 से 31.03.2024 तक

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती रेखा देवी	01.04.2022 से 31.03.24 तक

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है जोकि उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.3	0.08
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6	14.33
3.	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	7.1	1.89
4.	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.2	1.90
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.92
6.	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं से कुल हानि	9.1	0.39
7.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	9.2	0.70
8.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	9.3	0.10
9.	10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	9.4	₹16.07

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 23-08-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई अम्ल में नही लाई गई है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई न करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को

उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	अनिर्णीत	-
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8	अनिर्णीत	-
7.	9	अनिर्णीत	-
8.	10	अनिर्णीत	-
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-
15.	17	अनिर्णीत	-
16.	18	अनिर्णीत	-
17.	19(क)ख)(ग)	अनिर्णीत	-
18.	20	अनिर्णीत	-
19.	21	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला , जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार क० लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23-08-2024 से 12-09-2024 तक ग्राम पंचायत करियां के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	01/2023	05/2022
2.	2022-2023	03/2024	03/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6400/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 12-09-2024 द्वारा अनुरोध किया गया। जिस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अंकेक्षण शुल्क को डिमांड ड्राफ्ट संख्या 193419 दिनांक 27.09.24 ₹6400.00 निदेशक, हि प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला के पक्ष में भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत करियां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत करियां के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	256593	92257	348850	64337.7	284512.3
2023-24	284512.3	36894	321406.3	182159.1	139247.2

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	2630409	15555420.4	18185829.4	15882583.4	2303246
2023-24	2303246	14424108.3	16727354.3	15294359	1432995.3

कुल योग (1 + 2) = ₹139247.2+ ₹1432995.3= ₹1572242.5

(ब) ग्राम पचांयत करियां , विकास खण्ड मैहला , जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम		राशि 31-03-2024
1	99301100000031	HPGB KARIAN	SF/SFC/VMJS	234577
2	20010100254	HPSCB KARIAN	SF/SFC	183517
3	99301700021789	HPGB KARIAN	SDP	30951

4	1420000103161098	PNB CHAMBA	SBM	0
5	99301700033662	HPGB KARIAN	15TH FC	962932
6	99301700021761	HPGB KARIAN	RELIEF	140211
7	99301700021798	HPGB KARIAN	VKVNY	12219
8		Cash In Hand		0
		Total		1564407

अन्तर (ब-अ) ₹1572242.5- ₹ 1564407 =₹ 7835.5

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹**7835.5**/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.08 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**7835.5** का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है। इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 **अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹14.33 लाख का अवरोधन :-**

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**1432995.3** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 09.09.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत करियां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में

सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया गया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.89 लाख की वसूली न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹189220/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	**2022-23**	198170	773	50	38650	236820	68150	168670
2	**2023-24**	168670	775	50	38750	207420	18200	189220

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 09-09 -2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹4550/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के

प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0070-60-108-01" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹4550/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-04 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी ।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया गया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹19.41 लाख का अनियमित भुगतान करने के कारण सरकार को ₹1.90 लाख की रॉयल्टी के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है तथा पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदाओं में फॉर्म –X/M न होने की दशा में रॉयल्टी की कटोती करने हेतु भी प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों को राशि ₹**1941290.00** का अनियमित भुगतान किया गया। और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को जुर्माना सहित राशि **₹189765** /- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है।) की सम्भावित वित्तीय हानि हुई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5 दिनांक 09-09-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती

सम्बंधित संविदाकरों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबन्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹.92 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹**1941290** /- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹ **92442**/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्त्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के

उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹990 की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है; तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर (TDS) व्यक्ति के दशा में 1% तथा फर्म के दशा में 2% आयकर के कटौती करेगा तथा के गई कटौती को सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**<u>प्राप्ति शीर्ष</u>**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है; अन्यथा दंडात्मक व्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना/चयनित माह के दौरान अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों/फर्मों को कुल राशि ₹99000.00/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी, जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना है;इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹990.**00**/- की वित्तीय हानि सम्बंधित कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। इसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलती की पुनरावृत्ति न हो।

SR. No	Voucher No./Date	Name of Fund	Particular/ Detail Of Party	Discription of item	Amount	TDS Amount
1	03/27.05.22	vkvny	Mukesh rana govt cont.VPO Karian	hiring of JCB	99000	990
				Total	99000	990

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 09-09-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि; भविष्य में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नियमित तौर पर की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है; परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि; अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.1 ₹0.39 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत करियां के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिलों /वाउचर का भी भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
22814	14/27.05.22	38760	labour payment	15th fc	**c/o pucca path at jilo**
		38760		-	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत करियां के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.70 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत करियां द्वारा राशि ₹**70285**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	05/07.06.22	14TH FC	STAFFI CYBER MAGIC	COMPUTER COMPONENTS	10280
2	06/07.06.22	14TH FC	M/S Itender welding works	angle , celling fitting	22005
3	28/08.07.22	15th fc	Nonelty Corner main bazar chamba	water cooler	38000
				Total	70285

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 09-09-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत करियां के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.10 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा । किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹**10280**.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	05/07.06.22	14TH FC	STAFFI CYBER MAGIC	COMPUTER COMPONENTS	10280
				Total	10280

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -07 दिनांक 09-09-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा

संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायतअभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 09-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत करियां द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सार्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु

प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं किया जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक :-09-09-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹16.07 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹1607515 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष		₹3157095.6
	नकद	22662.00
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष		**₹ 1572242.5**
	अन्तर	₹1607515

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट

अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 09.09.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO रजिस्टर		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक 09.09.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत करियां की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

(कृष्ण लाल नेगी) 26.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

26 NOV 2024 ला0/66
5716-5720

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 94/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत करियां विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 NOV 2024

ला0/67

(कृष्ण लाल नेगी) 26.11.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

	परिशिष्ट -1	पैरा संख्या 4.1(क)(i)	के संदर्भ में		
Financial Position of Own Sources in r/o			" GP KARIYAN "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	256593	92257	348850	64337.7	284512.3
2023-24	284512.3	36894	321406.3	182159.1	139247.2

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Mehla
Distt. Chamba H.P.

परिशिष्ट -2 पैरा संख्या 4.1(क)(ii) के संदभ में

Grant in aid in r/o " GP KARIYAN " Dev. Block MEHLA Distt Chamba HP-176311

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	2630409	15555420.4	18185829.4	15882583.4	2303246
2023-24	2303246	14424108.3	16727354.3	15294359	1432995.3

Secretary
Gram Panchayat Karian
Dev. Block Mehla
Distt. Chamba H.P.

परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 4.3 व 6 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o		" GP KARIYAN "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176311	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5th sfc	319164	517987	837151	493768.1	343382.9
2	VKVNY	17846	674342	692188	677652.7	14535.3
3	Relief	6314	660531	666845	658147.4	8697.6
4	SDP	90084	534015	624099	538390.8	85708.2
5	SBM	2528	289034	291562	236267	55295
6	14th FC	451446	5496	456942	379929	77013
7	15th FC	1606627	2242615	3849242	2130628	1718614
8	Mgnrega	0	10631400.4	10631400.4	10631400.4	0
9	VMJS	136400	0	136400	136400	0
	Total	2630409	15555420.4	18185829.4	15882583.4	2303246
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP KARIYAN "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176311	Year Ended	2023-24
1	5th sfc	343382.9	382988	726370.9	447316	279054.9
2	VKVNY	14535.3	57317	71852.3	59633.1	12219.2
3	Relief	8697.6	780797	789494.6	649283.5	140211.1
4	SDP	85708.2	136552	222260.2	191309.1	30951.1
5	SBM	55295	606767	662062	654435	7627
6	14th FC	77013	273	77286	77286	0
7	15th FC	1718614	469025	2187639	1224707	962932
8	Mgnrega	0	11740389.3	11740389.3	11740389.3	0
9	VMJS	0	0	0	0	0
10	BASP	0	250000	250000	250000	0
	Total	2303246	14424108.3	16727354.3	15294359	1432995.3

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources			139247.2
2	Cash Book Balance on 31.03.2024		5th sfc			279054.9
3	Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY			12219.2
4	Cash Book Balance on 31.03.2024		Relief			140211.1
5	Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP			30951.1
6	Cash Book Balance on 31.03.2024		SBM			7627
7	Cash Book Balance on 31.03.2024		14th FC			0
8	Cash Book Balance on 31.03.2024		15th FC			962932
9	Cash Book Balance on 31.03.2024		Mgnrega			0
10	Cash Book Balance on 31.03.2024		VMJS			0
						1572242.5
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch	Head			
1	99301100000031,	HPGB KARIAN	SF/SFC/VMJS			234577
2	20010100254,	HPSCB KARIAN	SF/SFC			183517
3	99301700021789,	HPGB KARIAN	SDP			30951
4	1420000103161098,	PNB CHAMBA	SBM			0
5	99301700033662,	HPGB KARIAN	15TH FC			962932
6	99301700021761,	HPGB KARIAN	RELIEF			140211
7	99301700021798,	HPGB KARIAN	VKVNY			12219
		Cash In Hand				
	Total					1564407
					Diffrence	7835.5

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

परिशिष्ट – 4 पैरा संख्या न.2 के सदर्भ में

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत करियां
01/01/2022 से 31/12/2023 तक

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	01	राहील अली	12-12-21	01-1-2022	400/-	400/-	400/-
2	02	योगेश कुमार	18-2-22	16-3-2022	200/-	200/-	200/-
3	03	रवीन कुमार	3-04-22	23-4-22	25/-	25/-	25/-
4	04	चमन	19-4-22	23-5-22	400/-	400/-	400/-
5	05	सोनू	28-4-22	01-6-22	50/-	50/-	50/-
6	06	सोनू	16-5-22	23-5-22	200/-	200/-	200/-
7	07	शान्ति प्रसाद	20-07-22	12-8-22	25/-	25/-	25/-
8	08	अजय कुमार	26-5-22	01-6-22	400/-	400/-	400/-
9	09	अक्षय कुमार	20-7-22	12-8-22	200/-	200/-	200/-
10	10	किशन चन्द	28-7-22	24-8-22	25/-	25/-	25/-
11	11.	मयंक महाजन	27/9/22	19-10-22	200/-	200/-	200/-
12	12.	लक्की कुमार	2-10-22	31/10/22	200/-	200/-	200/-
13	13.	दिनेश कुमार	26-9-22	31/10/22	400/-	400/-	400/-
14	14.	धीरज	26-9-22	23-10-22	50/-	50/-	50/-
15	15	मनोज कुमार	08-12-22	22-12-22	200/-	200/-	200/-
16							
17			2023				
18	01	अक्षय	6-2-23	22-2-23	200/-	200/-	200/-
19	02	अजय	16-2-23	01-3-23	25/-	25/-	25/-
20	03	प्रीतम	22-2-23	3-4-23	50/-	50/-	50/-
21	04	जितेन्द्र	4-5-23	25-5-23	200/-	200/-	200/-
22	05	सतीश	20-06-23	15-7-23	200/-	200/-	200/-
23	06	कुलदीप	12-7-23	19-9-23	50/-	50/-	50/-
24	07	सुचिन शर्मा	01-11-23	16-11-23	200/-	200/-	200/-
25	08	मनेन्द्र कुमार	09-11-23	20-11-23	200/-	200/-	200/-
26	09	अक्षय कुमार	26-9-23	29-11-23	50/-	50	50/-
27	10	चन्दन	24-9-23	06-12-23	400/-	400/-	400/-
28							4550.00
29							
30							
31							
32							
33							

Secretary
Gram Panchayat Kariaa
Dev. Block Mehla
Distt. Chamba (H.P.)

27

परिशिष्ट-5 पैरा संख्या 8.2.0 8.3 के संदर्भ में

86

GRAM PANCHAYAT KARIYAN , DEV. BLOCK MEHLA, DISTT CHAMBA

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER TO WHICH IREEGULAR PAYMENT MADE AND FROM WHICH ROYALITY NOT DEDUCTED & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR.	NAME OF VENDER/	GRANTS/	VOUCHER/Bill	Date of payment	NAME OF	QTY.	QTY.	RATE OF	ROYLITY	AMOUNT	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
NO.	SUPPLIER	HEAD	DATE		MATERIAL	M3	TONNE	ROYALITY	NOT PAID	PAID		
1	nagesh kumar govt cont.	SDP	03/07.05.22	07.05.22	AGG	4.02	7.64	80	611.0	11658	11102.9	555.1
2	nagesh kumar govt cont.	SDP	01/07.05.22	07.05.22	STONE	24.00	54.00	80	4320.0	67200	64000.0	3200.0
3	Sachin Sharma Main bazar kariyan	SDP	07/07.05.22	07.05.22	stone	18.00	40.50	80	3240.0	46800.0	44571.4	2228.6
4	Sachin Sharma Main bazar kariyan	RELIEF	01/07.04.22	07.04.22	stone	20.00	45.00	80	3600.0	46000.0	43809.5	2190.5
5	Sachin Sharma Main bazar kariyan	RELIEF	06/31.05.22	31.05.22	SAND	5.00	8.10	80	648.0	17000.0	16190.5	809.5
6	Sachin Sharma Main bazar kariyan	RELIEF	18/15.03.24	15.03.24	stone	15.00	33.75	80	2700.0	45000.0	42857.1	2142.9
7	Sachin Sharma Main bazar kariyan	RELIEF	19/15.03.24	15.03.24	stone	15.00	33.75	80	2700.0	45000.0	42857.1	2142.9
8	Sachin Sharma Main bazar kariyan	RELIEF	20/15.03.24	15.03.24	stone	10.00	22.50	80	1800.0	30000.0	28571.4	1428.6
9	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnarega	03/07.02.22	23.05.22	stone	27.40	61.65	80	4932.0	73980.0	70457.1	3522.9
10	nagesh kumar govt cont.	Mgnarega	03/05.03.22	23.05.22	sand	19.00	30.78	80	2462.4	43700.0	41619.0	2081.0
11	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnarega	03/07.08.21	23.05.22	stone	15.00	33.75	80	2700.0	30000.0	28571.4	1428.6
12	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnarega	03/07.02.22	23.05.22	stone	46.00	87.40	80	6992.0	115000.0	109523.8	5476.2
13	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnarega	04/07.12.21	25.05.22	stone	38.70	62.69	80	5015.5	89010.0	84771.4	4238.6
14	nagesh kumar govt cont.	Mgnarega	03.07.02.22	23.05.22	stone	9.00	14.58	80	1166.4	25200.0	24000.0	1200.0
15	nagesh kumar govt cont.	Mgnarega	03/07.02.22	23.05.22	sand	14.23	23.05	80	1844.2	39844.0	37946.7	1897.3
16	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnarega	03/05.03.22	23.05.22	stone	60.00	134.40	80	10752.0	150000.0	142857.1	7142.9
17	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/08/2021	5-23/05/2022	Stone	1.5	3.36	80	268.8	3450.0	3285.7	164.3
18	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/08/2021	6-23/05/2022	Sand	5.82	9.43	80	754.3	16878.0	16074.3	803.7
19	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/08/2021	7-23/05/2022	Aggrigate	2.04	3.88	80	310.1	4896.0	4662.9	233.1
20	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	33-23/05/2022	Stone	11	24.64	80	1971.2	26400.0	25142.9	1257.1
21	Nagesh kumar Govt Con. VPO Kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	41-23/05/2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	21600.0	20571.4	1028.6
22	Nagesh kumar Govt Con. VPO Kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	56-23/05/2022	Stone	8.2	18.368	80	1469.4	22140.0	21085.7	1054.3
23	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-06/07/2021	1-23/05/2022	Sand	5.36	8.68	80	694.7	18224.0	17356.2	867.8
24	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-06/07/2021	2-23/05/2022	Aggrigate	8.78	16.68	80	1334.6	29852.0	28430.5	1421.5
25	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	58-23/05/2022	Sand	8	12.96	80	1036.8	26800.0	25523.8	1276.2
26	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	59-23/05/2022	Stone	35	78.4	80	6272.0	87500.0	83333.3	4166.7
27	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	61-23/05/2022	Aggrigate	16.55	31.45	80	2515.6	54615.0	52014.3	2600.7
28	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/03/2022	88-23/05/2022	Stone	7.4	16.576	80	1326.1	19980.0	19028.6	951.4
29	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/08/2021	4-23/05/2022	Sand	6.8	15.232	80	1218.6	15640.0	14895.2	744.8
30	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	74-23/05/2022	Stone	10	22.4	80	1792.0	20000.0	19047.6	952.4
31	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	75-23/05/2022	Sand	2.14	3.47	80	277.3	5143.0	4898.1	244.9
32	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	76-23/05/2022	Aggrigate	4.06	7.71	80	617.1	9740.0	9276.2	463.8
33	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-07/12/2021	14-23/05/2022	Stone	6.8	15.232	80	1218.6	17000.0	16190.5	809.5
34	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	62-23/05/2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	22500.0	21428.6	1071.4
35	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	72-23/05/2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	22500.0	21428.6	1071.4
36	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	31-23/05/2022	Stone	8.3	18.592	80	1487.4	22410.0	21342.9	1067.1
37	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	70-23/05/2022	Stone	10	22.4	80	1792.0	23000.0	21904.8	1095.2

38	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	77-23/05/2022	Stone	9	20.16	80	1612.8	24300.0	23142.9	1157.1
39	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	64-23/05/2022	Stone	5	11.2	80	896.0	12500.0	11904.8	595.2
40	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-07/12/2021	18-23/05/2022	Stone	35.6	79.744	80	6379.5	89000.0	84761.9	4238.1
41	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	46-23/05/2022	Stone	12.28	27.5072	80	2200.6	30700.0	29238.1	1461.9
42	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	47-23/05/2022	Sand	16.67	27.01	80	2160.4	41675.0	39690.5	1984.5
43	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	29-23/05/2022	Stone	33	73.92	80	5913.6	89100.0	84857.1	4242.9
44	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	49-23/05/2022	Stone	3	6.72	80	537.6	8100.0	7714.3	385.7
45	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	50-23/05/2022	Sand	15.24	24.69	80	1975.1	54864.0	52251.4	2612.6
46	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-07/12/2021	20-23/05/2022	Stone	31	69.44	80	5555.2	77500.0	73809.5	3690.5
47	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	25-23/05/2022	Stone	30	67.2	80	5376.0	75000.0	71428.6	3571.4
48	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	68-23/05/2022	Stone	31	69.44	80	5555.2	77500.0	73809.5	3690.5
49	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	27-23/05/2022	Sand	3.17	5.14	80	410.8	8559.0	8151.4	407.6
50	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-07/02/2022	28-23/05/2022	Aggrigate	6.01	11.42	80	913.5	16220.0	15447.6	772.4
51	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2022	66-23/05/2022	Stone	10.3	23.072	80	1845.8	23690.0	22561.9	1128.1
52	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	188-04/03/2024	Stone	10	22.4	80	1792.0	26000.0	24761.9	1238.1
53	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	170-04/03/2024	Stone	10	22.4	80	1792.0	26000.0	24761.9	1238.1
54	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-02/12/2023	179-04/03/2024	Stone	7.8	17.472	80	1397.8	20280.0	19314.3	965.7
55	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	189-04/03/2024	Stone	8.1	18.144	80	1451.5	24300.0	23142.9	1157.1
56	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-02/12/2023	176-04/03/2024	Stone	9	20.16	80	1612.8	23400.0	22285.7	1114.3
57	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	171-04/03/2024	Stone	8	17.92	80	1433.6	24000.0	22857.1	1142.9
58	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	275-04/03/2024	Stone	8.5	19.04	80	1523.2	25500.0	24285.7	1214.3
59	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	222-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
60	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	207-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
61	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	204-04/03/2024	Stone	7	15.68	80	1254.4	21000.0	20000.0	1000.0
62	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	265-04/03/2024	Stone	7.3	16.352	80	1308.2	21900.0	20857.1	1042.9
63	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	219-04/03/2024	Stone	7	15.68	80	1254.4	21000.0	20000.0	1000.0
64	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	213-04/03/2024	Stone	7	15.68	80	1254.4	21000.0	20000.0	1000.0
65	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	210-04/03/2024	Stone	7.3	16.352	80	1308.2	21900.0	20857.1	1042.9
66	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	243-04/03/2024	Stone	7.3	16.352	80	1308.2	21900.0	20857.1	1042.9
67	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	237-04/03/2024	Stone	7.3	16.352	80	1308.2	21900.0	20857.1	1042.9
68	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	225-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
69	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	228-04/03/2024	Stone	7.35	16.464	80	1317.1	22050.0	21000.0	1050.0
70	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	201-04/03/2024	Stone	7.3	16.352	80	1308.2	21900.0	20857.1	1042.9
71	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	262-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
72	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	192-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
73	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	198-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
74	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	195-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
75	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	216-04/03/2024	Stone	3.7	8.288	80	663.0	11100.0	10571.4	528.6
76	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	165-04/03/2024	sand	15	33.6	80	2688.0	51000.0	48571.4	2428.6
77	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	167-04/03/2024	agg	30	57.00	80	4560.0	108000.0	102857.1	5142.9
78	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	186-04/03/2024	sand	8.72	14.13	80	1130.1	27904.0	26575.2	1328.8
79	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	03-22/02/2024	187-04/03/2024	agg	4.43	8.42	80	673.4	15062.0	14344.8	717.2

29

80	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	172-04/03/2024	sand	19.76	32.01	80	2560.9	68199.0	64951.4	3247.6
81	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	173-04/03/2024	agg	9.61	18.26	80	1460.7	32674.0	31118.1	1555.9
82	Sachin Sharma Main bazar kariyan	Mgnrega	04-10/11/2023	175-04/03/2024	Stone	13.5	30.24	80	2419.2	40500.0	38571.4	1928.6
									151812.1	1941290.0	1848847.6	92442.4
			Add :- 25% panalty		151812.112	37953.028			37953.03			
			Total						189765.14			

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand — 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate — 1.9
   One Cubic Meter (M^3) Stone — 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not